


न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 20 14



Rs. 20/-

732
29-10-14

R. 3886 - III / 14

संतोष कुमार सोनी तनय हंदोलाल सोनी निवासी ग्राम वीडा, तहसील
सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदक

विरुद्ध

जानेन्द्र प्रसाद सिंह तनय लाल भागवत प्रसाद सिंह साकिन वीडा, तहसील
सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदक

निगरानी विरुद्ध निष्पत्ति अमर करे

जिलारीवा प्रकरण क्र० २० / ७६७ अमील
20 13-14 आदेश दिनांक 26-8-14

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व संहिता
सन 1959 ईस्वी।

श्री. ए. ए. माल शर्मा एड के
द्वारा आज दिनांक 29.10.14
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
मान्यवर,

क्रमांक 3619
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त
13-11-14

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

यहकि अधिनस्थ न्यायालय का निष्पत्ति विधि एवम प्रक्रिया के

विपरीत है।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2- यहकि प्राथीका मकान आ०न० 1087/1 रक्वा 0-0 10 हे० मूमि

पर बना है, जिसमें वह सपरिवार निवास कर रहा है, निगरानी कर्ता ने यह


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

32

मामला क्र. नि.3886-तीन/14

जिला-रीवा

शैलेश कुमार शर्मा / वृत्ति प्रदाता रसीद

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गयी उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M